रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27082022-238432
CG-DL-E-27082022-238432

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3855]	नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 27, 2022/भाद्र 5, 1944
No. 3855]	NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 27, 2022/BHADRA 5, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2022

सं. 30/2015–2020

विषयः एचएस कोड 1101 के तहत मदों की निर्यात नीति में संशोधन।

का.आ. 4029(अ).—जबकि गेहूं या मेसलिन फ्लोर (आटा), मैदा, समोलिना (रवा/सिरगी), होलमील आटा और रिसल्टेंट आटा की वैश्विक कीमतों में कई कारकों से उत्पन्न स्थिति से अचानक वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरुप भारत, पड़ोसी देशों और अन्य कमजोर देशों की खाद्य सुरक्षा, जोखिम में है;

जबकि, भारत सरकार भारत, पड़ोसी तथा अन्य कमजोर विकासशील देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्रतिबद्ध है जो गेहूं या मेसलिन फ्लोर (आटा), मैदा, समोलिना (रवा/सिरगी), होलमील आटा और रिसल्टेंट आटा के वैश्विक बाजार में अचानक आए परिवर्तन से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हैं और गेहूं की आपूर्ति की पर्याप्त मात्रा तक पहुंचने में असमर्थ हैं;

इसलिए, देश की समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और पड़ोसी तथा अन्य कमजोर देशों की जरूरतों में सहायता देने के लिए केन्द्र सरकार विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस), अनुसूची–II, 2018 के एचएस कोड 1101 अध्याय 11 की क्रम संख्या 64 के तहत मदों की निर्यात नीति में निम्नानुसार संशोधन करती है;

क्र. सं.	आईटीसी (एचएस) कोड	विवरण	मौजूदा नीति	संशोधित नीति
64	1101	गेहूं या मेसलिन फ्लोर (आटा), मैदा, समोलिना (रवा/सिरगी), होलमील आटा और रिसल्टेंट आटा	मुक्त। हालांकि, सभी मदों का निर्यात गेहूं के निर्यात की अनुमति देने के लिए गठित अंतर–मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की संस्तुति के अधीन है। आईएमसी द्वारा अनुमोदित सभी शिपमेंट के निर्यात की अनुमति निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) या दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता में इसके ईआईए द्वारा गुणवत्ता प्रमाणपत्र जारी करने के अधीन होगी।	निषिद्ध

2. परिवर्ती व्यवस्था के संबंध में विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के पैरा 1.05 के यथा–अधीन प्रावधान इस अधिसूचना के अंतर्गत लागू नहीं होंगे। तथापि, उपर्युक्त मदों का निर्यात अन्य देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु और उनकी सरकारों के अनुरोध के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई अनुमति के आधार पर अनुमत होगा।

3. **इस अधिसूचना का प्रभाव**:

एसएच कोड 1101 के अंतर्गत मदों [गेहूं या मेसलिन फ्लोर (आटा), मैदा, समोलिना (रवा/सिरगी), होलमील आटा और रिसल्टेंट आटा, की निर्यात नीति 'मुक्त' से संशोधित करके 'निषिद्ध' की जाती है। परिवर्ती व्यवस्था के संबंध में विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के पैरा 1.05 के यथा–अधीन प्रावधान इस अधिसूचना के अंतर्गत लागू नहीं होंगे। तथापि, उपर्युक्त मदों का निर्यात उपर्युक्त पैरा 2 के अनुसार कतिपय मामलों में भारत सरकार की अनुमति के अधीन अनुमत होगा।

[फा. सं. 01/91/171/012/एएम–23/ईसी/ई–32030]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2022

No. 30/2015-2020

Subject: - Amendment in Export Policy of items under HS Code 1101.

S.O. 4029(E).—Whereas there is a sudden spike in the global prices of Wheat or Meslin Flour (Atta), Maida, Samolina (Rava / Sirgi), Wholemeal atta and resultant atta arising out of many factors, as a result of which the food security of India, neighbouring countries and other vulnerable countries is at risk;

Whereas , the Government of India is committed to providing for the food security requirements of India, neighbouring and other vulnerable developing countries which are adversely affected by the sudden changes in the global market for Wheat or Meslin Flour (Atta), Maida, Samolina (Rava / Sirgi), Wholemeal atta and resultant atta and are unable to access adequate wheat supplies;

Therefore, in order to manage the overall food security of the country and to support the needs of the neighbouring and other vulnerable countries, the Central Government, in exercise of powers conferred by Section 3 read with section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, hereby amends export policy of items under S.No.64 of Chapter 11 under HS code 1101 of ITC (HS), Schedule – II, 2018 as under:

S.No.	ITC HS Codes	Description	Existing Export Policy	Revised Export Policy
64	1101	Wheat or Meslin Flour (Atta), Maida, Samolina (Rava / Sirgi), Wholemeal atta and resultant atta	Free. However, export of all items is subject to recommendation of Inter-Ministerial Committee (IMC) constituted for allowing export of wheat. Export of all the shipments approved by IMC shall be allowed subject to issuance of Quality Certificate by Export Inspection Council (EIC) or its EIAs at Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata.	Prohibited

2**.** The provisions as under Para 1.05 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020 regarding transitional arrangement shall not be applicable under this Notification. The export of above items, however, shall be allowed on the basis of permission granted by the Government of India to other countries to meet their food security needs and based on the request of their Government.

3. Effect of this Notification:

Export Policy of items [Wheat or Meslin Flour (Atta), Maida, Samolina (Rava / Sirgi), Wholemeal atta and resultant atta] under HS Code 1101 is amended from 'Free' to 'Prohibited'. The provisions as under Para 1.05 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020 regarding transitional arrangement shall not be applicable under this Notification. Export of the above items shall, however, be allowed subject to permission of Government of India in certain cases as at Para 2 above.

[F. No. 01/91/171/012/AM-23/EC/E- 32030]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex-Officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.08.27 16:32:12 +05'30'